(Orginal)

प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा।

सेवा में,
प्रबन्धक,
प्रसाद पब्लिक जूनियर स्कूल
औद्योगिक क्षेत्र -मथुरा

पत्रांक : मान्यता/ 1896-1900 /जू0हा0स्कू0/2007-2008 दिनांक :13/7/07

417

विषय : अशासकीय उच्चे प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या . 646/15-6-97-18(एम)/89 दिनांक 13 अगस्त 1997 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 9-7-2007 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. प्रबंधाधिकरण को विद्यालय के सुचारू संचालन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलबध कराने होंगे।
2. विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
3. बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन संस्थाधिकारियों को करना होगा।
4. विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, मँहगाई भत्ता दिया जायेगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्राप्त हो रहे होंगे। वेतन का भुगतान चैक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा।
5. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।
6. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी। सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
7. विभागीय नियमों/आदेशों की अवहेलना करने पर तथा किसी तथ्यों को छुपाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. यदि विद्यालय विभाग द्वारा निर्धारित मान्यता की समस्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो मान्यता का प्रत्याहरण का अधिकार विभाग एवं सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
9. सभी शिक्षक प्रशिक्षित रखने होंगे। अवहेलना पर विधिक कार्यवाही होगी।
10. उपरोक्त प्रतिबन्धों को मानना बाध्यकारी होगा।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार एवं मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार विद्यालय में निम्न विवरण के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजित माने जायेंगे।

1. प्रधानाध्यापक (एक)
2. सहायक अध्यापक (चार)
3. लिपिक (एक)
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एक)

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट/विज्ञान अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे।

भवदीय,
12.7.7
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा।

पृष्ठांकन संख्या : शि0स0/ /2002-2003 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा।
3. जिला समाज कल्याण/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग अधिकरी, मथुरा।।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, मथुरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा।

Principal
Prasad Public School
Mathura

MANAGER
Prasad Public School
Mathura

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICI

NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 720996

समक्ष - सक्षम अधिकारी

शपथपत्र मिनजानिब- अजय कुमार पुत्र लाडली प्रसाद अग्रवाल उम्र 60 वर्ष निवासी 717. डैम्पियर नगर, मथुरा **प्रबंधक प्रसाद पब्लिक स्कूल, मथुरा।**

एवं

ज्योत्सना सिंह चौहान पत्नी श्री अरविंद चौहान ए-1 मोती कुंज मथुरा **प्रधानाचार्या प्रसाद पब्लिक स्कूल मथुरा ।**

शपथपूर्वक निम्नलिखित व्यान करते हैं कि -

1. यह है कि **प्रसाद पब्लिक स्कूल, मथुरा** को कक्षा 8 तक की मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्ष 2007 में उपलब्ध करायी गयी है।
2. यह कि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) का नियम 2009 में आया है।
3. यह है कि बिन्दु I से VIII तक निम्नलिखित नियमों का **प्रसाद पब्लिक स्कूल, मथुरा** पूर्णतः पालन करने के लिए वचनबद्ध है।
    - i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
    - ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।
    - iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
    - iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
    - v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
    - vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐं नही है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगे।
    - vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है
    - viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
4. **यह है कि स्कूल / संस्था विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा।**

दिनांक - 13-05-2023

शपथकर्ता
(ज्योत्सना सिंह चौहान)

शपथकर्ता
(अजय कुमार)

PUSHPA GUPTA
Advocate
PUBLIC NOTARY
MATHURA (U.P.)
District Mathura

Read over and explained to the deponent
who is identified by Shri ....
& on Oath Attested to Day on..
at my office & entered down in the notarial
Register at No. 1866

Ajay Kumar
Jyotsana Singh Chauhan
1866
15/05/23

PUSHPA GUPTA
Advocate
NOTARY MATHURA
GOVERDHAN

15/05/23